

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(9095)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/20/11012/2021

जयपुर, दिनांक 23/02/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सहायक प्रोग्रामर्स एवं सूचना सहायकों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में पत्राचार/स्वंपाठी/दूरस्थ माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. सं.	मेरिट न.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	315 (2011)	श्री जीतेन्द्र, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-बसेड़ी, धौलपुर।	M.C.A.	Jaipur National University, Jaipur
2	357 (2011)	श्री विजय सोनी, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नगरपालिका-लोसल, सीकर।	M.A. (History)	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शाखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
3	1982 (2013)	श्री प्रदीप कुमार कुलदीप, सहायक प्रोग्रामर	राजकीय वादकरण विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	M.C.A.	JECRC University, Jaipur
4	3881 (2013)	श्री रामपाल, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-पिपराली, सीकर।	M.C.A.	Jaipur National University, Jaipur
5	812 (2013)	श्री विश्वास पाठक, सूचना सहायक	राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय जयपुर।	PGDCA	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
6	1759 (2013)	श्री विजयपाल छापोलिया, सूचना सहायक	सेंटर फॉर ऐप्लीकेशन डेवलपमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।	IT- A Level Exam A2-R2, A10.2-R4	NIELIT
7	2744 (2013)	श्री तिलाराम, सूचना सहायक	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी, बाड़मेर।	M.C.A. (2 nd Year Lateral Entry)	Jaipur National University, Jaipur
8	3279 (2013)	श्री ताराचन्द मन्दूस्या, सूचना सहायक	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।	PGDCA	C. V. Raman University

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशासनिक कारण वश स्वीकृती बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

— sd —

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- विभागाध्यक्ष.....।
- कार्मिक.....।
- संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)